न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 286–चार/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–4–99 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 257/97–98/अपील.

अजीत कुमार जैन पिता बाबूलाल जैन
निवासी भितरवार बहैसियत मु0आ0
राना उर्फ रन्जीत सिंह पुत्र गरीब सिंह
निवासी भितरवार जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

सोबरन सिंह पुत्र कुन्जलाल मिर्धा
निवासी ग्राम डडूमर
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर ....अनावेदक

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमिताभ दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिमांक 25/1/17 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, भितरवार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डडूमर तहसील भितरवार स्थित भूमि सर्वे कमांक 44 रकबा 1.306 हेक्टेयर पर वह 10 वर्ष से खेती कर रहा है, परन्तु इस वर्ष दिनांक 30–6–93 को अनावेदक सोवरन सिंह द्वारा लाठी, फरसे के बल पर कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण 6/92–93/अ–70 दर्ज कर दिनांक दिनांक 22–2–94 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार कर अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने संबंधी आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष

प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–3–98 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–4–99 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर कय की गई है, और पंजीकृत विकय पत्र को रहननामा नहीं माना जा सकता है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता था, और अनुविभागीय अधिकारी को इसी आधार पर अपील निरस्त किया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदक के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को दिलाया गया था । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत है, जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1993 आर.एन. 365, 2000 (II) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 106, 1982 जे.एल.जे. (एस.सी.) 834 एवं 1971 आर.एन. 7 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा वं मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाया गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई विकयनामा निष्पादित नहीं कर रहननामा निष्पादित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि उपरोक्त रहननामा से आवेदक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, और वर्तमान में अनावेदक ही प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कर रहा है । यह आधार भी लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की गई है, और अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन विकय पत्र नहीं होकर रहननामा

है । अंत में यह आधार लिया गया है कि अनावेदक प्रश्नाधीन पर निरंतर कृषि कर रहा है, इसलिए आवेदक की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि दो वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत अवधि बाह्य कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा कल्पनाओं के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक द्वारा उसकी भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण हो गया है, तब अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा करने की बात उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आशय के समवर्ती निष्कर्ष निकालकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–99 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर